रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] दिल्ली, शनिवार, जुलाई 13, 2019/आषाढ़ 22, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 100

No. 140] DELHI, SATURDAY, JULY 13, 2019/ASHADHA 22, 1941 [N.C.T.D. No. 100

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

फा.स. 158/डब्लू॰एफ॰डी॰/सी॰ओ॰टी॰/17-18/5538-46 - दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, रोड अंडर ब्रिज के पास, सेक्टर -21, द्वारका दिल्ली से दिल्ली-हरियाणा बार्डर के पास, द्वारका एक्सप्रेसवे पैकेज- II (खंड-ब) के निर्माण के कार्य हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 3,88,884 वर्ग मीटर (38.88 हेक्टेयर) लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	**परियोजना स्थल पर** वृक्षों की कुल संख्या	वृक्षों की संख्या			अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
		हटाए जाने वाले	प्रत्यारोपण **किए जाने वाले**	योग	
द्वारका **एक्सप्रेसवे पैकेज- II का निर्माण रोड अंडर ब्रिज के पास, सेक्टर -21,** द्वारका **दिल्ली दिल्ली हरियाणा बार्डर- के पास** ।	9435	2624	3736	6360	63600 उपभोगी संस्था की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा) ।
योग	**9435**	**2624**	**3736**	**6360**	**63600**

2. **63600** पौधों का **100 %** प्रतिपूरक वृक्षारोपण उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा और उनका सात वर्षों तक रखरखाव तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपरोक्त **1** (क) **&** (ख) के अनुसार निगरानी की जाएगी ।

3. उपभोगी संस्था अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को भी जमा करेगी जो कि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के रूप में साइट को उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है (जमा राशि के रूप में)।

4. **1:10** स्वदेशी प्रजातियों के **6-8** फीट की ऊँचाई वाले पौधे **6360** वृक्षो को हटाये जाने के बदले में प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण साइट विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के बाद किया जाएगा और उसका रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।

5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / उपभोगी संस्था अपने स्वयं के निधियों का उपयोग करके निर्धारित की गई भूमि पर मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को लागू करेगी।

6. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / उपभोगी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि साइट विशिष्ट (प्रतिपूरक वृक्षारोपण का स्थान) वन्यजीव संरक्षण योजना अपने स्वयं के धन से सक्षम वन्यजीव पेशेवरों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / उपभोगी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

8. जिस भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है, उसका उपयोग संबंधित वृक्ष अधिकारी की स्वीकृति के बिना अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

9. साइट को अतिक्रमण और बायोटिक हस्तक्षेप से सुरक्षित करना होगा ।

10. जहां कहीं भी आवश्यक हो, मृदा तैयार करने के लिए व्यापक हस्तक्षेप करना आवश्यक होगा ।

11. दिल्ली वृक्ष **संरक्षण** अधिनियम, **1994** की धारा **12** के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची प्रस्तुत की जाएगी ।

12. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा ।

13. (क) अनुमति जारी होने के तुरंत बाद पेड़ों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाना चाहिए और इसे **3** महीने के अंतराल में पूरा किया जाना चाहिए, जिसके बाद एक पूर्ण रिपोर्ट वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए । स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षो की दूरी **4** मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

(ख) वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु एक प्रस्तावित नीति दिल्ली सरकार में विचाराधीन है, इसलिए भविष्य की अनुमति में नीति के कार्यान्वयन के कारण प्रभावी होने वाले किसी भी बदलाव को संभावित प्रभाव के साथ सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा ।

14. दिल्ली वृक्ष **संरक्षण** अधिनियम, **1994** के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण के संबंध में प्रलेखन का समापन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा ।

15. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तावित **6360** वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण एक अपराध होगा ।

16. वृक्षों की कटाई / प्रत्यारोपण को नियंत्रित करने वाली सामान्य शर्तें लागू होंगी ।

17. प्रस्तावित वृक्षों के प्रत्यारोपण के लिए उपभोगी संस्था द्वारा पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना होगा, जैसा कि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है ।

18. **2624** वृक्षों की कटाई और **3736** वृक्षों के प्रत्यारोपण की अनुमति अर्थात **6360** वृक्षो को हटाने के लिए उनके स्वयं के जोखिम पर दी जाएगी और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना अनुमति दी जाएगी, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है ।

19. वृक्षों को हटाने/ प्रत्यारोपण किए जाने से पहले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा ।

20. वृक्षों का सम्पूर्ण प्रगति विवरण संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से हटाने/ गिराने, प्रत्यारोपण एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति रिपोर्ट उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

21. वृक्षों को हटाने/ प्रत्यारोपण के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकडियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (**पश्चिमी)** से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

22. वृक्षों को हटाने/ प्रत्यारोपण किए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ी की नीलामी भू-स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी` वृक्षों की ऊपरी शाखांए (लोप्स एंड टॉप्स) की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाए ।

23. कथित आरोप के तहत **400** वृक्षों को हटाने की जांच अभी भी वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) द्वारा चल रही है तथा इस मामले में जारी किए गए परिणाम / आदेश के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए बाध्य होंगे।

24. परिवहन भवन में दिनांक **03** अक्तूबर, **2018** को अपराह्न **02** बजे द्वारका एक्सप्रेसवे के कार्यान्वयन से संबंधित (रा॰रा॰ **248** बी॰ बी॰) (बिंदु संख्या **XIV)** माननीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण उपभोगी संस्था की ओर से **6360** वृक्षों की कटाई के एवज में **100 %** प्रतिपूरक वृक्षारोपण करेगा, जिसमें कहा गया है कि:

उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उल्लेख किया कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अनुसार आवश्यक संख्या में वृक्ष लगाए जाएं और इस प्रतिपूरक वृक्षारोपण के सत्यापन का कार्य उन्हीं के द्वारा किया जायेगा, इसके लिए वे वन विभाग के साथ समन्वय करें। वन विभाग ने प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ समन्वय करने और उसी के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है। प्रमुख आयुक्त (उद्यान।) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी आश्वासन दिया कि वे वृक्षों की प्रजातियां जो वे प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में लगाएंगे, वे पौधे होंगे जो दिल्ली वृक्ष **संरक्षण** अधिनियम, **1994** में वृक्षों की परिभाषा के अनुसार हैं । उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि इस मामले में जो भूमि निर्धारित की गई थी, यदि वृक्षारोपण के लिए वह भूमि अपर्याप्त पायी गयी, तो शेष वृक्षारोपण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध अन्य भूमि खंड पर किया जाएगा।

25. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए प्रस्तावित **94.42** हेक्टेयर क्षेत्र में **3736** देशी वृक्षों का प्रत्यारोपण सुनिश्चित किया जाएगा ।

26. अधिसूचना फा.स.158/डब्लू॰एफ॰डी॰/सी॰ओ॰टी॰/**17-12-2204/18** दिनांक-**13.03.2019** में निर्दिष्ट सभी नियम और शर्तें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संकलित की जाएंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 12th July, 2019

F.No.158/WFD/COT/17-18/5538-46.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 3,88,884 Sq. Mtr. Acres. (38.88 ha.) approx as detailed below for the work of construction of Dwarka Expressway Package-II (Part-B) from road under Bridge, Near Sector-21, Dwarka, Delhi to Delhi-Haryana Border from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Total No. of trees at the project site	No. of trees to be			Compensatory plantation required. (Number of trees)
		Felled	Transplanted	Total	
Dwarka Expressway Package-II from Road under Bridge, Near Sector-21, Dwarka Delhi to Delhi-Haryana Border.	9435	2624	3736	6360	63600 by DDA on behalf of User Agency.
Total	**9435**	**2624**	**3736**	**6360**	**63600**

The said exemption is in continuation to the earlier Notification issued vide F.No. 158/WFD/COT/17-18/2204-12 dated 13.03.2019 for 2675 trees and subject to fulfillment of the following conditions:-

1. The applicant i.e National Highway Authority of India shall make an advance deposit of an amount of Rs. 36,25,20,000 /- (Rupees Thirty Six Crore Twenty Five Lakh and Twenty Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(a)	100% Compensatory Plantation will be carried out by DDA on behalf of User Agency as per Minutes of Meeting held on 3rd October, 2018 at 2:00 PM.	63600	36,25,20,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 3736 native trees which are standing on site shall be ensured by User Agency in the area 94.42 ha. proposed by NHAI for compensatory tree transplantation. Post transplantation care of the trees will be ensured by the project proponent (NHAI).			

2. 100% Compensatory Plantation of 63600 saplings of native species will be raised and maintained by NHAI for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.

3. User agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).

4. 1:10 plants of native species 6-8 feet height will be planted as compensatory plantation on non-forest land in lieu of removal of 6360 no. of trees. The plantation will be done following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance would be carried out there after by NHAI/ User agency with their own funds.

5. The NHAI/ User agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on identified land using their own funds.

6. The NHAI/ User agency shall ensure that the site specific (Compensatory plantation site) wildlife conservation plan is implemented through competent wildlife professionals from their own funds.

7. The NHAI/ User agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

8. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of Tree Officer concerned.

9. Site will have to be secured from encroachment and biotic interference.

10. Extensive interventions will have to be undertaken for soil preparation, wherever required.

11. Detailed plantation schedule will have to be submitted by user agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

12. NHAI/ DDA shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.

13. (a) Transplantation of trees must be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than 3 months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the translocated trees should not be less than 4 metres (point to point).

(b). A draft policy on transplantation of trees is under active consideration with State Government of Delhi, therefore any change brought in to effect due to implementation of the policy in future permission would be modified to that extent with the approval of Competent Authority with prospective effect.

14. Completion of documentation regarding compensatory plantation as per provisions in DPTA, 1994 would be done by user agency.

15. Felling/transplant of any trees apart from the proposed 6360 trees by NHAI would constitute an offence.

16. Usual conditions governing felling/transplant of trees would be applicable.

17. Adequate space will have to be provided by user agency for transplantation of proposed trees as assured by them.

18. Permission for felling of 2624 trees and transplantation of 3736 trees i.e., removal of all 6360 tress would be granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

19. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the user agency.

20. Progress report of felling, transplanting & Compensatory Plantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.

21. For shifting of timber from site of removal/ transplantation of trees, permission for transport of the said wood shall be obtained from the DCF (West)/ Tree Officer.

22. The timber obtained from removal of felling shall be auctioned by the user agency and deposit the proceeds as Govt. revenue. Lops and tops of the trees, will be sent/ supplied to the nearest public crematoria free of cost.

23. As investigation/ inquiry of alleged removal of 400 trees is still underway by Tree Officer (West) the outcome/ order issued in this matter shall be binding on NHAI.

24. On behalf of NHAI, DDA will carry out 100% compensatory plantation in lieu of removal of these 6360 Nos. of trees as per the minutes of meeting held on 3rd October, 2018 at 2:00 PM under the Chairmanship of Minister, RT&H, at Transport Bhawan regarding Implementation of Dwarka Expressway (NH-248BB), point No. (XIV), which quotes as:

VC, DDA mentioned that as the work of compensatory plantation is to be done by DDA, they would ensure that the required number of trees as per compensatory plantation scheme is planted and the onus of verification of this compensatory plantation lies with them for which they will coordinate with Forest Dept. forest Dept. also agreed to this for further coordinating with DDA for taking up compensatory plantation and ensuring verification of the same. PC (Hort.) DDA also assured that the species of trees they would plant in the compensatory plantation site shall be those trees which are in accordance with the definition of the trees in DPTA, 1994. VC, DDA confirmed that in case land identified was found to be insufficient for plantation, balance plantation would be done on other land parcels available with DDA".

25. Transplantation of 3736 native trees shall be ensured by User Agency in the area 94.42 Hectares proposed by them for compensatory tree transplantation.

26. All the terms and conditions specified in the Notification No. F.158/WFD/COT/17-18/2204-12, Dated: 13/03/2019 will be compiled by NHAI.

By order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.07.16 13:34:43 +05'30'